न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 08/2020
RCMS Case Reg. 2020/00065

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, गढी जिला बांसवाड़ा (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री विठला पिता थावरीया जाति भील निवासी बेडवा तहसील गढी
2. श्री खातु पिता थावरीया भील निवासी बेडवा तहसील गढी
3. श्री लाला पिता थावरीया भील निवासी बेडवा तहसील गढी
4. श्री देवा पिता थावरीया भील निवासी बेडवा तहसील गढी
5. श्री वालजी पिता थावरीया भील निवासी बेडवा तहसील गढी
6. श्री रामजी पिता थावरीया भील निवासी बेडवा तहसील गढी
7. श्रीमती रतु पत्नि थावरीया भील निवासी बेडवा तहसील गढी
8. श्री लाला पिता कोदर भील निवासी बेडवा तहसील गढी
9. श्री रामा पिता कोदर भील निवासी बेडवा तहसील गढी
10. श्री लक्ष्मण पिता कोदर भील निवासी बेडवा तहसील गढी
11. श्रीमती जमना पत्नि कोदर भील निवासी बेडवा तहसील गढी
12. श्री खला पिता कचरु भील निवासी बेडवा तहसील गढी
13. श्री हुका पिता कचरु भील निवासी बेडवा तहसील गढी
14. श्री नाथु पिता हकरा भील निवासी बेडवा तहसील गढी
15. श्री दिनेश पिता हकरा भील निवासी बेडवा तहसील गढी
16. श्रीमती कुशा पत्नि हकरा भील निवासी बेडवा तहसील गढी
17. श्री नटवर पिता शंकर सेवक निवासी नवागॉव तह.गढी
18. श्री बापुलाल पिता शंकर सेवक निवासी नवागॉव तह.गढी
19. श्री लक्ष्मीलाल पिता शंकरलाल सेवक निवासी नवागॉव तह.गढी
20. श्रीमती रुकमणी पत्नि शंकर सेवक निवासी नवागॉव तह.गढी

–प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

निर्णय

दिनांक :– 18–01–2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.21 17:21:14 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि राजस्थान रा[illegible] (सेटलमेंट) विभाग खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सन् 1939–40 मे [illegible] के खातां संख्या 112 खसरा नंबर 269 रकबा 1.12 [illegible] व बअहत[illegible]

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

नाथू पिता गुलाबजी सेवक साकिन नवागॉव के नाम खातेदारी हक व अधिकार में दर्ज थी। तहसील गढी में कडाना बॉध डूब से प्रभावित होने से ग्राम बेडवा में नया भू प्रबन्ध होने से उपरोक्त पुराने नंबर 269 के हाल तुलनात्मक नंबर 722 (0.13 बिस्वा), 723 (0.14 बिस्वा), 736 (0.02 बिस्वा), 737 (0.03 बिस्वा) में परिवर्तित हुआ। नवीन सेटलमेंट संवत् 2030 में ग्राम बेडवा के खाता संख्या 71 में खातेदार के नाम के कॉलम में माफी मन्दिर का नाम हटाकर खसरा नंबर 736 (0.02 बिस्वा), 737 (0.03 बिस्वा) की भूमि श्री थावरीया पिता हुका 1/2, कोदर, हकरा, हुका, खला पिता कचरु 1/2 समभाग भील साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज हुआ तथा खाता नंबर 93 में खसरा संख्या 723 (0.15 बिस्वा) भूमि शंकर पिता नाथू सेवक साकिन देह के नाम बिना किसी अधार के विधि विरुद्ध खाते में दर्ज रेकार्ड हो गयी। तहसील क्षैत्र गढी में कडाना बॉध डूब से प्रभावित होने से ग्राम बेडवा में नया भू प्रबन्ध होने से उपरोक्त पुराने नंबर 722, 723, 736, 737 के हाल तुलनात्मक नंबर 527, 528, 529 में परिवर्तित हुए। ग्राम बेडवा में बंदोबस्त जमाबन्दी संवत् 2044 के खाता नंबर 137 में खसरा नंबर 528 (0.13 है.), 529 (0.18 है.) पर श्री थावरीया पिता हुका 1/2, श्री कोदर, हकरा, हुका, खला पिता कचरु 1/2 समभाग साकिन देह खातेदार के नाम तथा खाता संख्या 290 में खसरा संख्या 527 (0.23 है.) श्री शंकर पिता नाथू सेवक साकिन नवागॉव के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ग्राम बेडवा की जमाबन्दी 2060–63 के खाता संख्या 396 पर विवादित खसरा नंबर 527 में दर्ज श्री शंकर पिता नाथू सेवक के नाम तथा खाता सं.380 पर श्री विठला, खातु, लाला, देवा, वालजी, रामजी पिता थावरिया व रतु बेवा थावरिया 1/2, कोदर, हुका, खला पिता कचरु, नाथू, दिनेश पिता हकरा, व कुशा बेवा हकरा भील के नाम खातेदारी में विवादित खसरा 528 व 529 दर्ज रेकार्ड है। खाता संख्या 396 में खातेदार शंकर पिता नाथू सेवक की मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकारी श्री नटवर लाल, बापूलाल, लक्ष्मीलाल व श्रीमती रुकमणी काबिज है। इसी प्रकार श्री कोदर पिता कचरु भील की मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकारी लाला, रामा, लक्ष्मण एवं श्रीमती जमना काबिज है। शेष हिस्सेदार विठला, खातु वगैरा पिता थावरिया व हुका, खला पिता कचरु, नाथू, दिनेश पिता हकरा व कुशा बेवा हकरा भील यथावत इस खाते मे है।

तहसीलदार गढी ने धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेफरेन्स प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में माफी मन्दिर श्री महादेव जी के नाम दर्ज थी जो बाद में बन्दोबस्त के समय अन्य व्यक्तियो के नाम दर्ज हो गई जिसे निरस्त कर पुनः माफी मन्दिर श्री महादेवजी साकिन देह के नाम कुल खसरा किता 3 रकबा 0.54 है. पर खातेदारी हक व अधिकार से दर्ज कराया जावे।

दिनांक 02.07.2008 को राजकीय अभिभाषक की एक तरफा बहस सुनने के पश्चात् दिनांक 21.07.2008 को निर्णित कर तहसीलदार गढी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर प्रकरण सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किया गया था।

दिनांक 06.10.2020 माननीय न्यायालय रा[illegible]ण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णयानुसार.इस आशय के साथ कि "[illegible] 736 व 737 के नये नं.527, 528 व 529 बनने का उल्लेख है और इसकी ता[illegible] जो मिलान क्षैत्रफल पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.21 17:21:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

पर पेश किया गया है, वह इसके बिलकुल विपरीत है। जिससे यह प्रतित होता है कि मिलान क्षैत्रफल की नकल सही तौर पर नही बनाई गई है। उक्त कारणो से यह रेफरेंस अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतित होता है।" प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त हुआ।

दिनांक 20.11.2020 को प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त रेफरेंस पुनः दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार गढी को प्रश्नगत आराजी नंबर की वर्तमान स्थिति एवं मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया। दिनांक 08.01.2021 को तहसीलदार गढी से प्राप्त प्रश्नगत आराजी नंबरान् की वर्तमान रिर्पोट मिलान क्षैत्रफल की नकल प्राप्त हुई। प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल की नकल का अवलोकन करने पर प्रतित हुआ कि पूर्व में पत्रावली पर पेश मिलान क्षैत्रफल की नकल में लेखनीय त्रुटि हुई है। पटवार मण्डल बेडवा के राजस्व ग्राम झाजुपुरा का हाल आराजी नंबर 527 (0.23 है.), 528 (0.13 है.), 529 (0.18 है.) के पुराने तुलनात्मक विवरण अनुसार –

खसरा नं. 722 (0.15 बिस्वा), 723 (0.15 बिस्वा) का हाल खसरा नंबर 527 (0.23 है.) बना है।

खसरा नं. 736 (0.12 बिस्वा) का हाल खसरा नंबर 528(0.13 है.) बना है।

खसरा नं. 737 (1.03 बिघा) का हाल खसरा नंबर 529 (0.18 है.) बना है।

जमाबन्दी संवत् 2072–75 अनुसार उपरोक्त वर्णित हाल खसरा नंबर 527 रकबा 0.23 है. शंकर पिता नाथु सेवक सा.नवागॉव खातेदार के नाम दर्ज रेकर्ड है। खसरा नंबर 528 रकबा 0.13 है. व खसरा नंबर 529 रकबा 0.18 है. विठला, खातु, लाला, देवा, वालजी, रामजी पिता थावरीया व रतु बेवा थावरीया 1/2, कोदर, हुका, खला पिता कचरु, नाथु दिनेश पिता हकरा, कुशा बेवा हकरा 1/2 भील सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है।

इस प्रकार विवाद ग्रस्त भूमि पूर्व में माफी मन्दिर श्री महादेवजी के नाम दर्ज थी, जो बाद में समय समय पर भू–प्रबन्ध के दौरान माफी मन्दिर का नाम हटाकर अन्य व्यक्तियों के नाम विधि विरुद्ध दर्ज हो गई जो उचित नही है। मूर्ति शाश्वत रुप से अवयस्क मानी जाने के कारण तहसीलदार गढी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः तहसीलदार गढी द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18–01–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.21 17:21:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner